कार्यालय,आयुक्त,उच्च शिक्षा,मध्यप्रदेश शासन,
सतपुडा भवन,पॉचवीं मन्जिल,ए–बी विंग,भोपाल–462004

–:: आदेश ::– कोड–(325/75168)

भोपाल, दिनांक– 10/04/2017.

क्रमांक– 890 /157/आउशि/सम्बद्वता/17 :: महामहिम राज्यपाल, मध्यप्रदेश के अनुमोदन उपरान्त प्रदेश में सत्र 2017–18 के लिये नवीन अशासकीय महाविद्यालय/नवीन पाठ्यक्रम/नवीन विषय प्रारंभ करने एवं पूर्व संचालित पाठ्यक्रमों की निरन्तरता संबंधी मार्गदर्शी सिद्वांतों की जारी मार्गदर्शिका अनुसार तथा मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 26(1)(पांच) एवं धारा 24 (बारह) के अनुसार आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश द्वारा अनापत्ति प्रमाण–पत्र देने के उपरान्त ही उक्त अधिनियम से शामिल विश्वविद्यालय अशासकीय महाविद्यालयों में संचालित होने वाले पाठ्यक्रमों हेतु सम्बद्धता प्रदान करनें पर नियमानुसार विचार कर सकता है।

2. जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर से सम्बद्ध संस्थाओं (विद्यमान महाविद्यालय/समिति) के द्वारा प्रस्तुत /विद्यमान अशासकीय महाविद्यालयों में नवीन एवं निरन्तरता के पाठ्यक्रमों/विषयों प्रारंभ करने हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र जारी किये जानें के प्रकरणों को इस कार्यालय के आदेश कमांक – 576–77/999/आउशि/सम्बद्वता/17 दिनांक 15/03/2017 द्वारा अमान्य किया गया है, के विरूद्ध प्रथम 'रिव्यू' के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं।

3. संस्थाओं से प्राप्त प्रथम 'रिव्यू' आवेदन–पत्रों/दस्तावेजों के आधार पर मार्गदर्शिका में वर्णित आवश्यकताओं की पूर्ति के सन्दर्भ में आयुक्त उच्च शिक्षा स्तर पर परीक्षण करनें के उपरान्त आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश द्वारा अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्रदान करने के संबंध में प्रकरणवार प्रथम 'रिव्यू' के अन्तर्गत निम्नानुसार निर्णय लिया जाता है :–

सरल कमांक	बिन्दु	विवरण
1	समिति का नाम	श्री भंवरसिंह किरार शिक्षा प्रसार समिति, ग्वालियर
2	विद्यमान महाविद्यालय का नाम	ब्रिलियंट इंस्टी0 आफ प्रोफेशनल स्टडीज, ग्वालियर
3	आवेदित नवीन पाठ्यकम	पीजीडीसीए
4	आवेदित निरन्तरता के पाठ्यकम	निरंक
5	आदेश कमांक – 576–77/999/आउशि/सम्बद्वता/17 दिनांक 15/03/2017 द्वारा प्रकरण अमान्य करनें का कारण	कोड 28 में नियुक्ति नहीं। धारा 27 में सोसाईटी के प्राधिकारीयों की सूची नहीं, गत वर्ष की एन.ओ.सी. दि–27/04/2016 में दर्शायी गई कमियों की पूर्ति नहीं।
6	प्रथम 'रिव्यू' परीक्षण निष्कर्ष	पत्र दि0 15/03/2017 द्वारा प्रकरण अमान्य करने के कारणों की समस्त पूर्तियां संस्था द्वारा कर दी गई है ।

7	प्रथम 'रिव्यू' पर आयुक्त, उच्च शिक्षा का निर्णय		
	आवेदित् अग्रलिखित पाठ्यक्रमों के लिये अनापत्ति प्रमाण–पत्र जारी किया जाता है।	मान्य पाठ्यक्रम	पीजीडीसीए नोट– कोड 28 में 2 माह में नियुक्ति करें।
	आवेदित् अग्रलिखित पाठ्यक्रमों के लिये अनापत्ति प्रमाण–पत्र अनापत्ति प्रमाण–पत्र जारी नहीं किया जाता है।	अमान्य पाठ्यक्रम	——निरंक——

4. विश्वविद्यालय द्वारा मान्य पाठ्यक्रमों की सम्बद्धता प्रदान करने के पूर्व परिनियम 27 एवं 28 के प्रावधानों की पूर्ति करायी जाय।

5. संस्था द्वारा ईपीएफ के नियमों का कडाई से पालन सुनिश्चित किया जाय तथा नियमानुसार प्रतिमाह कटोत्रा कर इस कायलय को अवगत कराया जाए।

अशासकीय महाविद्यालयों से संबंधित सामान्य शर्तें एवं नियम यथावत् रहेंगे।

"आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित"

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
उच्च शिक्षा,म.प्र.

पृ. क्रमांक–891 /157/आउशि/सम्बद्वता/17. भोपाल, दिनांक– 10/04/2017.

प्रतिलिपि :–

1– प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, भोपाल (म0प्र0)।

2– विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, समन्वय प्रको.,भोपाल।

3– क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, ग्वालियर संभाग ग्वालियर मध्यप्रदेश।

4– कुल सचिव, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर मध्यप्रदेश।

5– प्राचार्य, समस्त संबन्धी अग्रणी शासकीय महाविद्यालय, मध्यप्रदेश।

6– संबंधित संस्था के अध्यक्ष/सचिव, मध्यप्रदेश।

——की और सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
उच्च शिक्षा,म.प्र.